महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रु.वि. / स्टोर / नीलामी / 2019 / 10378-80 दिनांक : 29.07.2019

वाहन नीलामी सूचना

विश्वविद्यालय के निष्प्रयोज्य वाहनो एम्बेसडर कार UP 25 AB-0114 व UP 25 AB-0116 की सार्वजनिक नीलामी जहाँ है जैसा है के आधार पर दिनाँक 14.08.2019 को मध्यान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के वित्त अधिकारी कक्ष में गठित समिति के द्वारा की जायेगी।

निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी में भाग लेने हेतु अलग से निविदा फार्म डाउनलोड कर रु 1180/— का ड्राफ्ट या विश्वविद्यालय के खाते मे NEFT/RTGS द्वारा भुगतान कर (जो कि वापस नही किया जायेगा) नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। नीलामी प्रतिभाग हेतु रु 25,000/—(रु पच्चीस हजार) का ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी महात्मा ज्योतिवा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली के नाम में देय हो, नीलामी फार्म के साथ संलग्न करना होगा। जिन व्यक्तियों के नाम कोई वाहन स्वीकृत नहीं होगा उनकी धरोहर राशि का ड्राफ्ट नीलामी समाप्ति के बाद वापस कर दिया जायेगा। जो व्यक्ति नीलामी के नियम व शर्तो का पालन नहीं करेंगे वह नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

जिस व्यक्ति की उच्चतम बोली स्वीकृत की जायेगी उसे 50प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, तथा शेष धनराशि पाँच दिन के अन्दर निर्धारित जी.एस.टी व टी.सी.एस (नीलामी में स्वीकृत उच्चतम बोली की धनराशि के अतिरिक्त) जमाकर वाहन उठवाना होगा। अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

नीलामी के नियम ,शर्तें व फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर उपलब्ध हैं। नीलामी में प्रतिभागी फर्म/व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00बजे तक वाहनों के अवलोकन हेतु प्रभारी स्टोर से सम्पर्क कर सकते हैं।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1.निजी सचिव कुलपति को, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2.प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

3.नोटिश बोर्ड।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली

वाहन नीलामी फार्म

नीलामी फार्म का मूल्य रु 1180/-

नीलामी फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 14.08.2019

पूर्वान्ह 11.00 बजे तक

1	फर्म का नाम/बोली दाता का नाम व पता	
2	स्थाई पता (प्रति संलग्न करें) मोबाइल नं.	
3	पैन नम्बर प्रति संलग्न करे	
4	आधार नं0 (प्रति संलग्न करें)	
5	नीलामी फार्म के मूल्य रु 1180/- (वेबसाइट से डाउनलोड करें) बैंक ड्राफ्ट नम्बर दिनांक बैंक का नाम अथवा Account No. **505202010028001** IFSC : **UBIN0550523** Bank : **Union Bank of India** Branch : **M.J.P.ROHILKHAND University Bareilly (Deposit by RTGS)** as required below : Transaction No: Transaction Date: Bank Name of Bidder : Bank Branch Bidder: Bank Account No Bidder: IFSC Code Bidder's Bank: (जमा राशि की रसीद संलग्न करें)	
6	धरोहर राशि रु 25,000 बैंक ड्राफ्ट नम्बर दिनांक बैंक का नाम	

मेरे द्वारा समस्त नियम व शर्तों का अवलोकन कर लिया गया है तथा मैं सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ।

बोली दाता के हस्ताक्षर..................

बोली दाता का नाम ....

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विष्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYO.TIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

वाहन नीलामी के नियम एवं शर्तें

सामान्य शर्ते

1. वाहन नीलामी की धरोहर धनराशि रु 25,000/- (रु पच्चीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट, वित्त अधिकारी,एम0जे0पी0आर0यू0,बरेली के नाम नीलामी फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा निर्धारित मूल्य से कम पर वाहन की नीलामी नहीं की जायेगी।
3. नीलामी को स्थगित करने, समग्र अथवा आंशिक रुप से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी विश्वविद्यालय को होगा।
4. किसी भी नीलामी की बोली को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय का होगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
5. नीलामी स्थल पर बोली दाता ही प्रवेश कर सकेंगे।
6. नीलामी की बोली वाहन जहाँ है,जैसा है" की शर्त पर विक्रय होगा। न्यूनतम बोली/कीमत को नीलामी से पूर्व में घोषित कर दिया जायेगा।
7. समिति समझती है कि समूह बन गया है तथा बोली लगाने वालो से उचित मूल्य नही मिलेगा तो वह नीलामी रोक देगा।
8. बोली के अन्तिम होते ही बोली मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। चैक मान्य नहीं होगा। नीलामी कराने वाला अधिकारी बिना कारण बताए ही अन्तिम बोली लगाने वाले से पूरी कीमत जमा करा सकता है।
9. बोली जब सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी तो अवशेष धनराशि पाँच दिनों के अन्दर जमा करनी होगी। धनराशि पूरी जमा हो जाने के बाद ही वाहन सुपुर्द किया जायेगा।
10. यदि समय से शेष कीमत जमा नहीं होती है,तो अर्नेष्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
11. स्वीकृत उच्चतम बोली के अतिरिक्त जी.एस.टी.टी.सी.एस आदि की देयता क्रेता की होगी।
12. क्रेता को अपना आधार/पैन कार्ड नं0 आदि की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. विक्रय लेखा फार्म सी पर होगा तथा विक्रयकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
14. विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक,कर्मचारी नीलामी में भाग लेने हेतु अनुमन्य नहीं होंगे।

कुलसचिव